राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, उत्तराखंड
37वीं बैठक - दिनांक : 20 मई, 2011 का कार्यवृत्त

उत्तराखंड राज्य में स्थित समस्त बैंकों द्वारा विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2010-11 तक की प्रगति समीक्षा हेतु राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, उत्तराखंड की 37वीं बैठक पैसिफिक होटल, देहरादून में दिनांक 20 मई, 2011 को आयोजित की गई।

इस बैठक में श्री राजीव गुप्ता, प्रमुख सचिव एवं आयुक्त (एफ.आर.डी.सी.), उत्तराखंड शासन, श्री आलोक कुमार जैन, प्रमुख सचिव (वित्त) एवं आयुक्त (अवस्थापना), उत्तराखंड शासन, श्री सुनील पंत, मुख्य महाप्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, नई दिल्ली, डा. अमरेन्द्र साहू, क्षेत्रीय निदेशक, भारतीय रिजर्व बैंक, लखनऊ, श्री वी.एस.बाजवा , महाप्रबंधक, भारतीय रिजर्व बैंक, श्री पंकज पंडित, मुख्य महाप्रबंधक, नाबार्ड, श्री राकेश शर्मा, महाप्रबंधक (नेटवर्क - II), भारतीय स्टेट बैंक, दिल्ली मण्डल एवं राज्य सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों तथा वाणिज्यिक / ग्रामीण / सहकारी / निजी बैंकों और अन्य वित्तीय संस्थाओं / निगमों के वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा भाग लिया गया।

श्री सुनील पंत, मुख्य महाप्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक का संबोधन -

श्री सुनील पंत, मुख्य महाप्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक ने अपना संबोधन प्रारम्भ करते हुए बैठक में श्री राजीव गुप्ता, श्री आलोक जैन, डा. अमरेन्द्र साहू एवं अन्य मंचासीन अतिथियों का अभिनन्दन और सभी बैंक एवं राज्य सरकार के अधिकारियों का स्वागत किया। राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, उत्तराखंड की 37वीं बैठक में सभी बैंकों के वित्तीय वर्ष 2010-11 की प्रगति की समीक्षा करते हुए सदन को अवगत कराया कि पिछली बैठकों से संबंधित कुछ कार्य बिंदुओं पर कार्य करना शेष है, जिसे संबंधित बैंक / राज्य सरकार को कार्रवाई करनी है।

उन्होंने कहा कि बैंकों का **ऋण-जमा अनुपात** पिछले वर्ष की तुलना में थोड़ा बढ़ा है, जोकि मार्च, 2010 में 49.78 % से बढ़कर मार्च, 2011 में 52.67 % हो गया है। उत्तराखंड राज्य के बाहर स्थित बैंक शाखाओं द्वारा प्रदेश में ` 4205.68 करोड़ के ऋण उपलब्ध कराए जाने से ही राज्य का ऋण-जमा अनुपात बढ़ा है। इसलिए बैंकों द्वारा अपने स्थानीय ऋणों को बढ़ाने की आवश्यकता है। राज्य का ऋण-जमा अनुपात बढ़ाने में चार मैदानी जिलों - हरिद्वार, देहरादून, उधम सिंह नगर एवं नैनीताल का अधिक योगदान है। सभी बैंकों से अनुरोध है कि वे पहाड़ी क्षेत्र में ऋण प्रवाह बढ़ाने हेतु समुचित रणनीति बनाकर विशेष प्रयास करें। राज्य में जिन बैंकों (**पंजाब एण्ड सिंध बैंक - 26 %, यूको बैंक - 25 %, सेन्ट्रल बैंक ऑफ इण्डिया - 32 %, बैंक ऑफ इण्डिया - 24 % एवं इण्डियन ओवरसीज बैंक - 27 %**) का ऋण-जमा अनुपात बहुत कम है, जबकि इनकी समुचित संख्या में शाखाएं कार्यरत हैं, उन्हें इसे बढ़ाने हेतु विशेष प्रयास करने होंगे।

उन्होंने आगे कहा कि इस वित्तीय वर्ष 2010-11 के लिए **वार्षिक ऋण योजना हेतु निर्धारित लक्ष्य ` 5915.41 करोड़** के सापेक्ष ` **5826.82 करोड़** की प्राप्ति दर्ज की गई है, जोकि 99 % है। इस उपलब्धि के लिए उन्होंने सभी बैंकों की सराहना की और 50 % से कम लक्ष्य प्राप्त करने वाले बैंकों को आगामी वर्ष में अधिक प्रयास करने को कहा। उन्होंने अवगत कराया कि वित्तीय वर्ष 2011-12 हेतु बैंकों के लिए वार्षिक ऋण योजना का लक्ष्य रु. 6788.68 करोड़ निर्धारित किया गया है। राज्य के लिए जिलेवार / बैंकवार वार्षिक ऋण योजना 2011-12 हेतु निर्धारित लक्ष्य की पुस्तिका तैयार कर सभी बैंकों / अग्रणी जिला प्रबंधकों को उपलब्ध करा दी गई है।

भारत सरकार ने वित्तीय समावेशन के लिए **'' स्वाभिमान ''** नाम से एक योजना आरम्भ की है, जिसके अंतर्गत देश के सभी व्यस्क व्यक्तियों के बैंक खाते खोलने का प्रावधान है। इसी क्रम में उत्तराखंड राज्य में **2000 से अधिक जनसंख्या वाले 216 गाँवों** में से **91 गाँवों** को संबंधित बैंकों द्वारा बिजनेस कॉरेस्पोन्डेन्ट के माध्यम से जनसाधारण को बैंकिंग सुविधा प्रदान की जा रही है। शेष गाँवों में 6 माह के अंदर संबंधित बैकों द्वारा बैंकिंग सेवाएं पहुँचाने का लक्ष्य प्राप्त कर लिया जाएगा।

इसी प्रकार प्रदेश की महत्वाकांक्षी **अटल आदर्श ग्राम योजना** के अंतर्गत **259 गाँव** में से **63 गाँवों** में बैंकिंग सुविधा पहुँचा दी गई है, जिसमें भारतीय स्टेट बैंक ने 17, पंजाब नेशनल बैंक - 2, बैंक ऑफ बड़ौदा - 7, केनरा बैंक - 5, नैनीताल अल्मोड़ा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक - 5, उत्तरांचल ग्रामीण बैंक - 3 गाँव सम्मिलित हैं। संबंधित बैंक शीघ्र ही शेष अटल आदर्श ग्रामों को बैंकिंग सेवाओं से जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। इस संबंध में उन्होंने सरकार एवं बी.एस.एन.एल. से अनुरोध किया कि सभी 2000 प्लस ग्रामों / अटल आदर्श गाँवों में ब्रॉड बैण्ड / जी.पी.आर.एस. सुविधा उपलब्ध कराएं।

उन्होंने कहा कि **मुख्यमंत्री जड़ी-बूटी विकास योजना** के अंतर्गत निदेशक, एच.आर.डी.आई., गोपेश्वर द्वारा जड़ी-बूटी का व्यवसायिक कृषिकरण करने हेतु इच्छुक कृषकों के आवेदन पत्र (प्रोजेक्ट रिपोर्ट सहित) संबंधित बैंकों को प्रेषित करें ताकि उन्हें ऋण उपलब्ध कराया जा सके।

निदेशक, उद्यान द्वारा **100 वर्ग मीटर क्षेत्रफल वाले '' पॉली हाऊस ''** में संरक्षित खेती करने के लिए 244 इच्छुक कृषकों के आवेदन पत्र (प्रोजेक्ट रिपोर्ट सहित) विभिन्न बैंकों को प्रेषित किए गए हैं। उन्होंने सभी संबंधित बैंकों से अनुरोध किया कि इन आवेदनों पर शीघ्र ऋण वितरित किए जाएं।

उन्होंने कहा कि क्रेडिट गारंटी फण्ड ट्रस्ट ऑफ इण्डिया की योजनांतर्गत बैंकों को ` 1 करोड़ तक के कोलेट्रल फ्री औद्योगिक ऋण उदारतापूर्वक प्रदान करना चाहिए क्योंकि इन ऋणों की वसूली में जटिल विधिक प्रक्रिया (Complex Legal Process) नहीं अपनानी पड़ती है।

आगे उन्होंने राज्य सरकार द्वारा प्रायोजित योजनाओं / कार्यक्रमों के अंतर्गत मार्च, 2011 तक समस्त बैंकों द्वारा की गई प्रगति की समीक्षा करते हुए कहा कि किसान क्रेडिट कार्ड को और अधिक संख्या में जारी करने की आवश्यकता है।

उन्होंने राज्य सरकार से पुनः आग्रह किया कि जिन जिलों में आरसेटी स्थापित करने हेतु भूमि उपलब्ध / हस्तांतरित नहीं की गई है, वहाँ शीघ्र कार्रवाई करें। साथ ही संबंधित लीड बैंकों से आग्रह किया कि सभी जिलों में वित्तीय साक्षरता एवं परामर्श केंद्र (Financial Literacy & Consultation Centre) स्थापित करें क्योंकि अभी तक केवल पंजाब नेशनल बैंक द्वारा देहरादून में एफ.एल.सी.सी. खोला गया है।

अंत में उन्होंने सभी बैंकों और विभागों को वर्ष के लिए निर्धारित लक्ष्यों के सापेक्ष अच्छी उपलब्धि प्राप्त करने पर हार्दिक बधाई दी और आशा व्यक्त करते हुए कहा कि आगे भी सभी बैंक / विभाग मिलकर राज्य के आर्थिक विकास को नई ऊँचाइयों तक ले जाने में सहयोग करेंगे तथा सभी का धन्यवाद करते हुए उन्होंने अपना संबोधन पूर्ण किया।

श्री राजीव गुप्ता, प्रमुख सचिव एवं आयुक्त (एफ.आर.डी.सी.), उत्तराखंड शासन का संबोधन :

प्रमुख सचिव एवं आयुक्त (एफ.आर.डी.सी.), उत्तराखंड शासन ने अपने संबोधन में, ग्रामीण / शहरी, मैदानी / पर्वतीय क्षेत्रों के ऋण-जमा अनुपात पर चर्चा करते हुए कहा कि जिन जिलों / क्षेत्रों का ऋण-जमा अनुपात 40 % से कम है तथा संतोषजनक नहीं कहा जा सकता है, उन्हें विशेष अभियान चलाकर, इसमें सुधार करने की आवश्यकता है।

- उन्होंने, कृषि विभाग द्वारा जनसंख्या आधारित कृषक परिवारों की संख्या 15.70 लाख तथा सी.आर.सी. आधारित संख्या 9.20 लाख के अंतर तथा बैंकों को कृषक परिवारों की सूची अभी तक उपलब्ध न कराने पर असंतोष व्यक्त किया। उन्होंने कृषि विभाग को निर्देशित किया, कि वे एक विशेष अभियान चलाकर अधिकतम तीन माह (सितम्बर, 2011) तक कृषक परिवारों की सूची बैंकों को उपलब्ध करा दें। उन्होंने निदेशक (कृषि) को निर्देशित किया कि वर्ष 2011-12 हेतु बैंकों द्वारा जारी किए जाने वाले **किसान क्रेडिट कार्ड का लक्ष्य 2 लाख** निर्धारित किया जाए।
- उन्होंने, चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि जिला एवं ब्लाक स्तरीय बैंठकों में बैंक एवं राज्य सरकार के अधिकारियों की प्रतिभागिता कम रहती है, जिससे कि बैठक में महत्वपूर्ण निर्णय लेने में विलम्ब होता है।

- उन्होंने आगे कहा कि बैंकों द्वारा खोले गए कृषकों के सभी नो-फ्रिल खाताधारकों को किसान क्रेडिट कार्ड / आर्टिजन क्रेडिट कार्ड / उद्यान कार्ड जारी किए जाएं जिससे कृषि क्षेत्र में ऋण प्रवाह बढ़ सके।
- उन्होंने संबंधित बैंकों कों निर्देशित किया कि 2000 से अधिक जनसंख्या वाले ग्रामों एवं अटल आदर्श योजना के अंतर्गत आवंटित गाँवों में बैंकिंग सुविधा पहुँचाने हेतु त्वरित कार्रवाई करें और भारत संचार निगम लिमिटेड को कहा कि इन सभी ग्रामों में **ब्रॉड बैण्ड / जी.पी.आर.एस.** के माध्यम से डाटा ट्रान्सफर हेतु इन्टरनेट कनेक्टिविटी उपलब्ध कराएं।

श्री आलोक कुमार जैन, प्रमुख सचिव (वित्त), उत्तराखंड शासन का संबोधन :

प्रमुख सचिव (वित्त), उत्तराखंड शासन ने वार्षिक ऋण योजना 2010-11 के 99 % उपलब्धि पर बधाई देते हुए, अपने संबोधन में कहा कि यद्यपि ऋण-जमा अनुपात बढ़ा है, पर अगले वर्ष 2011-12 में बैंकों की जमा राशि में होने वाली वृद्धि के अनुपात में **वार्षिक ऋण योजना** में बढ़ोतरी करनी होगी। मैदानी और पर्वतीय जिलों के बीच ऋण-जमा अनुपात की खाई को पाटने हेतु योजना बनाए जाने की आवश्यकता है। इस हेतु हमें जिला / क्षेत्र विशेष कार्य योजना बनानी होगी और यदि पर्वतीय क्षेत्रों के विकास हेतु सरकारी अनुदान को बढ़ाने की आवश्यकता हो, तो शासन को इसकी संस्तुतियाँ प्रेषित की जा सकती है।

- उन्होंने कहा अब न्याय पंचायत स्तर पर, कृषि विकास अधिकारी उपलब्ध हो गए हैं, अतः अज्ञानता अथवा जानकारी का अभाव स्वीकार्य नहीं होगा तथा सही आँकड़ों का समय से प्रेषण करना अनिवार्य है, ताकि योजना की समीक्षा / मूल्यांकन सही प्रकार से किया जा सके।
- उन्होंने, बैठक में पर्यटन विभाग से सक्षम अधिकारी की अनुपस्थिति तथा वीर चंद्र सिंह गढ़वाली स्वरोजगार योजना के अंतर्गत गैर-वाहन मद में लक्ष्यों की अप्राप्ति पर नाराजगी व्यक्त करते हुए कहा कि वर्ष 2011-12 में योजना के अंतर्गत, प्रारम्भ से ही समुचित (लक्ष्यों से 125 से 130 % अधिक) आवेदनों का बैंकों में प्रेषण किया जाए ताकि लक्ष्यों की प्राप्ति हो सके।

श्री अमरेन्द्र साहू, क्षेत्रीय निर्देशक, भारतीय रिजर्व बैंक, कानपुर का संबोधन :

भारतीय रिजर्व बैंक के क्षेत्रीय निदेशक ने अवगत कराया कि बैंकिंग सेवारहित पिछड़े सीमांत जिलों के कुछ गाँवों को आदर्श ग्राम (Model Village) के रुप में विकसित करने हेतु भारतीय रिजर्व बैंक ने एक अनूठी पहल की है। इसी क्रम में चमोली जिले के '' मलारी गाँव '' को भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा चयनित किया गया है। इसी प्रकार कुमायूं मण्डल के अल्मोड़ा जिला में भी भारतीय रिजर्व बैंक आदर्श ग्राम (Model Village) विकसित करेगा। उन्होंने कहा क्योंकि अब वर्षभर की एस.एल.बी.सी. की बैठकों का कार्यक्रम पूर्व निर्धारित हो चुका है, अतः सभी बैंक ससमय पूर्ण डाटा प्रेषित करें ताकि एजेण्डा पेपर तैयार कर भारतीय रिजर्व बैंक / राज्य / केंद्र सरकार को बैठक की तिथि से 15 दिन पूर्व प्रेषित किया जा सके। समय पर आँकड़े प्रेषित नहीं करने वाले बैंकों का नाम भारतीय रिजर्व बैंक को एस.एल.बी.सी. प्रेषित करे।

उन्होंने वार्षिक ऋण योजना 50 % से कम उपलब्धि वाले बैंकों के निष्पादन पर असंतोष व्यक्त किया। इण्डियन बैंक द्वारा वार्षिक ऋण योजना में मात्र 3 % की उपलब्धि या तो आँकड़ों का गलत संप्रेषण दर्शाता है अन्यथा बैंक को इस ओर ध्यान देने की आवश्यकता है। उन्होंने आगे कहा कि क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों द्वारा वार्षिक ऋण योजना के अंतर्गत 69 % उपलब्धि स्वीकार्य नहीं है क्योंकि उनका गठन विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों के विकास हेतु ही हुआ है तथा इस ओर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है।

आरसेटी का विवरण देते समय बैंक प्रशिक्षण कार्यक्रमों की संख्या, प्रशिक्षुओं की संख्या के साथ-साथ कितने प्रशिक्षणार्थियों को बैंकिंग सुविधा से जोड़ा गया उसकी भी सूचना दें। आगामी एस.एल.बी.सी. बैठक में संबंधित बैंकों में **17 संभाव्यता व्यवहार्य रुग्ण इकाई (Potentially Viable Sick Units)** के पुनर्निवेशन (rehabilitation) पर भी चर्चा होगी। उन्होंने कहा कि एस.एल.बी.सी. संयोजक एजेण्डा पेपर्स में लघु उद्योग इकाइयों के स्थान पर सूक्ष्म एवं लघु उद्योग (SME) का प्रयोग करें।

सभा के अंत में **श्री राकेश शर्मा, महाप्रबंधक (नेटवर्क - II), भारतीय स्टेट बैंक, नई दिल्ली** द्वारा बैठक में राज्य सरकार एवं बैंकों से पधारे शीर्ष अधिकारियों का आभार प्रकट किया और सभी बैंकों की ओर से राज्य के समग्र विकास हेतु लिए गए निर्णयों/सुझावों के अनुसार कार्य करने का आश्वसन दिया। उन्होंने सभी बैंकों द्वारा वार्षिक ऋण योजना के लक्ष्य की 99 % उपलब्धि, ऋण-जमा अनुपात में वृद्धि तथा प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रों में ऋण के लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु सभी बैंक एवं उत्तराखंड शासन के सहयोग पर धन्यवाद दिया।

उन्होंने कहा कि वित्तीय समावेशन के अंतर्गत आर.बी.आई. 2000 + एवं अटल आदर्श ग्राम योजना में सभी बैंकों को त्वरित कार्रवाई करने की आवश्यकता है। इसके अतिरिक्त पर्यटकों की सुविधा को देखते हुए, यात्रा मार्गों / पर्यटक स्थलों पर नवीन शाखाओं को खोलते समय **ए.टी.एम. का प्रावधान** बैंकों द्वारा करना चाहिए। उन्होंने राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति के संयोजक की ओर से सभी बैंक अधिकारियों को आगामी बैठक हेतु जून, 2011 तक के सही एवं पूर्ण आँकड़ों के विवरण दिनांक 15 जुलाई, 2011 तक राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, उत्तराखंड को प्रेषित करने हेतु आग्रह किया तथा उपस्थित विशिष्ट अतिथियों, प्रतिभागियों, प्रेस तथा मीडिया के प्रतिनिधियों द्वारा बैठक को सजीव एवं सफल बनाने हेतु धन्यवाद एवं आभार प्रकट किया गया।

****